मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त, 2021 (श्रावण 19, 1943)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) पटल पर रखेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) डॉ.कुंवर विजय शाह, वन मंत्री, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2003) के अधीन बनाये गये नियम की कंडिका 21 की उप कंडिका (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 65 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रम मंत्री, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 57 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री राजवर्द्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार म.प्र.प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के अन्तिम लेखे वर्ष 2018-2019 (वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2019) पटल पर रखेंगे.

4. फरवरी-मार्च, 2021 सत्र की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-7 पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2021 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले में खाद की कमी होने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य, भोपाल के कोकता में स्थापित ट्रांसपोर्ट नगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

8. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 25-शिवपुरी से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 121-बैतूल से निर्वाचित सदस्य, श्री निलय विनोद डागा एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 203-देपालपुर से निर्वाचित सदस्य, श्री विशाल जगदीश पटेल को विधान सभा के अगस्त, 2021 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

9. सभापति तालिका की घोषणा.

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति, याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन तथा अभ्यावेदनों से संबंधित दशम्, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्रीमती गायत्री राजे पवार, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(3) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का बीसवां से छब्बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री जालम सिंह पटेल, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री पारसचन्द्र जैन, सदस्य, नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(6) श्री पंचूलाल प्रजापति, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन एवं द्वितीय (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(7) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम्, पष्ठम्, सप्तम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(8) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का चतुर्थ, पंचम् एवं षष्टम् (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(9) श्री बहादुर सिंह चौहान, सभापति, कृषि विकास समिति का प्रथम प्रतिवेदन एवं प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर जिले के वार्ड क्रमांक-18 शताब्दीपुरम के क्यू-ब्लाक में सीवर लाईन एवं सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(2) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, धार जिले के ग्राम पंचायत लंगुर की आदिम जाति सहकारी संस्था का संचालन ग्राम लंगुर में कराये जाने,

(3) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के ग्राम रिंगनोद ग्रिड से खेड़ा तक सुदूर सड़क मार्ग निर्माण कराये जाने,

(4) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम महुआखेड़ा, पृथ्वीराज से रूसल्ली साहू मार्ग का दोहरीकरण कराये जाने,

(5) श्री संजय यादव, सदस्य, जबलपुर जिले के बरगी अंतर्गत ग्राम चरगवां से खैरूआ तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(6) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य, दमोह जिले के थाना तेजगढ़ अंतर्गत ग्राम झलौन में नवीन पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने,

(7) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम सिलारी में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने,

(8) श्री मेवाराम जाटव, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम सिलोहा से अंगसौली एवं अन्य ग्रामों में नहर बनाये जाने,

(9) कुंवर रविन्द्र सिंह तोमर 'भिड़ौसा', सदस्य, मुरैना जिले के चंबल क्षेत्र में स्थित 40 रेत खदानें चिन्हित कर खोले जाने,

(10) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम विसेर से गोरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(11) श्री ग्यारसीलाल रावत, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम पांजरिया से झिरीजामली व्हाया पाड़छा तक रोड निर्माण कराये जाने,

(12) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बन्धवा उसरा टोला-कशियारगांव छिरहा घाट कगास नाला पर रपटा निर्माण कराये जाने,

(13) श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम बनवार एवं सिमरियाटाँका शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(14) श्री राज्यवर्धन सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम चौमा के शासकीय माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(15) एड. बैजनाथ कुशवाहा, सदस्य, मुरैना जिले के सबलगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर कलां को नगर परिषद में परिवर्तित किये जाने,

(16) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल शहर के भदभदा चौराहे से प्रेमपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

12. वक्तव्य.

श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, दिनांक 9 मार्च, 2021 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्रमांक 3771) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

13. वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, वर्ष **2021-2022** के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

- 3 -

निर्धारित समय

14. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 22 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियमों का (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 23 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 24 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 25 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 26 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(6) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 27 सन् 2021) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम
15 मि. (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 22 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्र, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियमों का
15 मि. (निरसन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 23 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन)
1 घण्टा विधेयक, 2021 (क्रमांक 24 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(10) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
15 मि. (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 25 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(11) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021
1 घण्टा (क्रमांक 26 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(12) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन)
30 मि. विधेयक, 2021 (क्रमांक 27 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 9 अगस्त, 2021.